मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 / 11 / 2021

क्रमांक 908 2271/सी.सी. / 2021 / अड़तीस :: मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / सी–2 / दो, भोपाल दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियाँ **18 नवम्बर, 2021** से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100% उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जाती है।

ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जायेगा, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बन्द होगा। उक्त निर्देशों के परिपालन में 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक / स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं हेतु छात्रावास खोले जायेगे तथा मेस व्यवस्था की जायेगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों तथा छात्रावास में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र–छात्राओं एवं समस्त स्टॉफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 45+ संवर्ग के एवं द्वितीय चरण में 18+ संवर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश हैं। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र–छात्राएं जिनके द्वारा दोनो टीकें नहीं लगे हैं उन्हें दोनो टीके लगवाया जाए। जो विद्यार्थी दिनांक 18.11.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किये है ऐसे विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन न होने की स्थिति में भी महाविद्यालय आने की अनुमति होगी।

कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

18-11-21

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांकः / सी.सी. / 2021 / अड़तीस — **भोपाल, दिनांक / 11 / 2021**

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शास. / अनुदान प्राप्त अशा. / निजी अशा. महाविद्यालय म.प्र.।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग